

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

हंसराज पिता देबीलाल गुर्जर नि. उथरणा

बनाम

देवा पिता भुवाना भील नि. उथरणा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 226/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अडकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुवे
18.04.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम उथरणा प. ह. बेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 58 रकबा 15-00 बीघा, आ.न. 187 रकबा 12-00 बीघा, तथा आ.न. 5/2 रकबा 05-00 बीघा, आ.न. 192 रकबा 02-01 बीघा तथा आ.न. 194 रकबा 01-12 बीघा, आ.न. 195 रकबा 0-03 बीघा, आ.न. 617/30 रकबा 07-00 बीघा तथा आ.न. 61 रकबा 06-19 बीघा तथा आ. न. 57 रकबा 03-16 बीघा, आ.न. 198 रकबा 0-10 बीघा, आ.न. 218 रकबा 01-05 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम उथरणा प. ह. बेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 58 रकबा 15-00 बीघा, आ.न. 187 रकबा 12-00 बीघा, तथा आ.न. 5/2 रकबा 05-00 बीघा, आ.न. 192 रकबा 02-01 बीघा तथा आ.न. 194 रकबा 01-12 बीघा, आ.न. 195 रकबा 0-03 बीघा, आ.न. 617/30 रकबा 07-00 बीघा तथा आ. न. 61 रकबा 06-19 बीघा तथा आ.न. 57 रकबा 03-16 बीघा, आ.न. 198 रकबा 0-10 बीघा, आ.न. 218 रकबा 01-05 बीघा की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2500-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार, जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p>	